



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरणडा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : ०१ / यो०ब०-२२/२०१७-४८९ दिनांक : २५.०६.२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/लोहरदगा वन प्रमण्डल,  
लोहरदगा/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ चाईबासा वन प्रमण्डल,  
चाईबासा/सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल,  
गढ़वा/मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में  
कार्यान्वयित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना  
(अन्य व्यय) के अंतर्गत कटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण  
का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल ₹० 36.326 लाख (छत्तीस  
लाख बत्तीस हजार छ: सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन  
(Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०ब०-३६/२०१७-खण्ड-४२/स्वी० व०प०  
राँची, दिनांक-२०.०२.२०१८ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो०  
बजट-२५/२०२०-११/आ० व०प० दिनांक-०१.०६.२०२१।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406—  
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- 102—समाज तथा फार्म  
वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष-५९—अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत  
वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल ₹० 36.326 लाख  
(छत्तीस लाख बत्तीस हजार छ: सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों  
में किया जाता है :—

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110259010103	33.823
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110259010323	2.503
<b>कुल :-</b>		<b>36.326</b>

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-१** पर वर्णित वन  
प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों  
के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को सम्मय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-२** तथा ऑन लाईन उप  
आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-३** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S24060110259010103 तथा 19S24060110259010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की

अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशासाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समस्य निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—22 / 2017— 489 दिनांक— 24.06.2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/जमशेदपुर/  
दुमका/मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, राँची/ चाईबासा/जमशेदपुर/  
मेदिनीनगर/गढ़वा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—22 / 2017— 489 दिनांक— 24.06.2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, राँची/ लोहरदगा/  
चाईबासा/ जमशेदपुर /सरायकेला/ मेदिनीनगर /गढ़वा / को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक उपलब्धि (कि०मी०)	वित्तीय उपलब्धि		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			89196.05	6604.00	95800.05
i	ii	vii	viii	ix	x
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	10	8.919	0.660	9.579
2	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	5	4.460	0.330	4.790
3	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	5	4.460	0.330	4.790
4	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	2.92	2.604	0.193	2.797
5	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	5	4.460	0.330	4.790
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	5	4.460	0.330	4.790
7	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	5	4.460	0.330	4.790
सकल योग :-		37.92	33.823	2.503	36.326

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

अनु०-२

कंटीले तार घेरान के साथ (Multi Row with barbed wire fencing)  
नदी तट पर वृक्षारोपण की प्रति कि०मी० अनुसूचित कार्य दर

स्पेसिंग

पंक्ति से पंक्ति की दूरी—३मी० / २मी०  
 पौधे से पौधे की दूरी—३मी० / २मी०  
 प्रति कि० मी० पौधों की संख्या—६०००

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस :

रु० ३११.३३/-

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
<b>(A) वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० ३११.३३</b>						
1	एक कोड़नी निकौनी	प्रति कि०मी०	८४.००	२६१५१.७२	०.००	२६१५१.७२
2	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	प्रति कि०मी०	०.००	०.००	४१०४.००	४१०४.००
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि०मी०	१२०.००	३७३५९.६०	०.००	३७३५९.६०
4	घेरान को हटाना, सुरक्षित स्थान पर परिवहन एवं भेजना (वित्तीय वर्ष के अन्त में)	प्रति कि०मी०	८२.५०	२५६८४.७३	२५००.००	२८१८४.७३
योग :-			२८६.५०	८९१९६.०५	६६०४.००	९५८००.०५

८१०

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

मैं व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्षे की सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017P/489

दिनांक -

24-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते	28649	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदुरी	891,900.00 रुपये आठ लाख इनकानये हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते	28652	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदुरी	446,000.00 रुपये चार लाख छ्यालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते	28654	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHPEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदुरी	446,000.00 रुपये चार लाख छ्यालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

स्वोतां

रुपये स त्र ह लाख तिरपासी हजार नौ सौ

क्रमिक योगः

1,783,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

Page 1 of 5

BANGU

Run Date: 24/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28657	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदूरी	260,400.00 रुपये दो लाख साहर हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28660	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदूरी	446,000.00 रुपये चार लाख छहलास हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28663	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	446,000.00 रुपये चार लाख छहलास हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये उन्तीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ

1,152,400.00

क्रमिक योगः

2,936,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110259010103	28667	PLMFOR070 AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. रुपये चार लाख छयातीस हजार	446,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते		03 - मजद्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110259010323	28669	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA रुपये छाछठ हजार	66,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110259010323	28671	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER रुपये तैतीस हजार	33,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये चौतीस लाख इक्कहासी हजार तीन सौ			545,000.00
क्रमिक योग:				3,481,300.00
		(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28673	JSRFOR051  MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,000.00  रुपये तैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28675	SGHFOR010  SATYAM KUMAR (I.F.S.)  DFO.CHAIBASA FOREST DIV.  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	19,300.00  रुपये उन्नीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28677	SKLFOR001  ADITYA NARAYAN  D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,000.00  रुपये तैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये पैलीस लाख छाँठ हजार छ: सौ			85,300.00
क्रमिक योग:				3,566,600.00

योगः

રૂપયે છત્તીસ લાખ બત્તીસ હજાર છઃ સૌ

66,000.00

कल्पित योग्य-

(NAND KISHORE SINGH)

3,632,600.00

Page 5 of 5

500 GPa

BANER

Run Date: | 24/6/2021